न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 43/2017

मोहनलाल पुत्र पृथ्वीराज जाति गुसांई निवासी चक 1 जी.पी.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज.भू–रा.अधि. 1956
विरूद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ दिनांक 18.04.2017 एवं उप–तहसीलदार राजियासर दिनांक 30.01.2017

उपस्थितिः–

श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक अपीलार्थी।
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उप तहसीलदार राजियासर ने अपने आदेश दिनांक 30.01.2017 से अपीलांट को चक 1 जी.पी.एम. के मु.नं. 140/50, 140/51 की 2.656है. भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने एवं तावान कायम करने के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश की अपीलांट ने अति. कलक्टर सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश की। अति.कलक्टर सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 18.04.2017 से अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलांट को दो माह की सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट किसी भी प्रकार से पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। बिना साक्ष्य के अति.कलक्टर सूरतगढ ने अपीलांट की अपील खारिज करते हुए दो माह सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया

है जो उचित नहीं है। साथ ही अपीलांट एक गरीब सदभावी काश्तकार है। अतः उसके विरूद्ध सिविल कारावास के बिन्दु पर सहानुभूति का रूख अपनाते हुए सिविल कारावास का आदेश निरस्त किया जावे। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। उप तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी मानते हुए आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ के समक्ष अपील पेश की जिसमें न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आया कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में अति.कलक्टर सूरतगढ द्वारा दो माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश देने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि अति.कलक्टर द्वारा जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना गया है वह उचित नहीं है। परन्तु अपीलांट ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधी. न्यायालय ने अपने विस्तृत विवेचन में यह स्पष्ट रूप से यह माना है कि अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर वर्षों से अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है तथा यह तथ्य भी माना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त किस्म भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं तथा इस प्रकार का अतिक्रमण हटाने जाने के निर्देश है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी द्वारा लगातार अतिक्रमण राज्य सरकार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों/निर्णयों की स्पष्ट अवहेलना है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय का निर्णय विधि अनुसार है एवं इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना इस न्यायालय के विनम्र मत में उचित नहीं है। परन्तु अपीलांट ने इस न्यायालय के समक्ष अपनी बहस में सिविल कारावास की सजा के बिन्दु पर सहानुभूति का रूख रखने की इस्तदुआ की है एवं मौखिक रूप से मौके पर अवैध कब्जा हटाने की बात कही है। चूंकि अपीलांट एक काश्तकार व्यक्ति है। अतः यह न्यायालय

अपीलांट के विरूद्ध सहानुभूति का रूख अपनाते हुए सिविल कारावास के सम्बन्ध में यह आदेश देना उचित समझता है कि यदि अपीलांट अधी. विचारण न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष विवादित भूमि से अपना कब्जा भौतिक रूप से हटाने व इस भूमि पर भविष्य में अवैध कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करें एवं तहसीलदार स्वयं की मौका जांच में शपथ पत्र के तथ्य सही पाये जाए तो केवल सिविल कारावास निरस्त समझी जावे अन्यथा स्थिति में अपीलाधीन सिविल कारावास का आदेश यथावत रहेगा। अपीलांट के विरूद्ध पारित बेदखली व तावान का आदेश इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा। साथ ही ऐसी स्थिति में तहसीलदार सूरतगढ को निर्देश भी दिये जाते हैं कि अपीलांट द्वारा भविष्य में अतिक्रमण करने पर उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर उसके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावे। इस प्रकार अधी. न्यायालय द्वारा पारित बेदखली व तावान का आदेश यथावत रखते हुए सिविल कारावास के सन्दर्भ में उक्तानुसार सशर्त आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/11/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर